संख्या:-55/2024/आई530954/001-237आ0-23-5002-002-38-2024
(कम्प्यूटर सं0-1803859)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत जनपद कानपुर, बलिया व जौनपुर के आवासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 09 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8261/CE-BLD/BUIL(SR)/KNP/2023-24, दिनांक 28.03.2024 एवं पत्र सं0-8257/CE-BLD/BUIL(SR)/AZM/2023-24, दिनांक 28.03.2024, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद कानपुर, बलिया व जौनपुर के आवासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 09 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 25.32 लाख(रू0 पच्चीस लाख बत्तीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(धनराशि लाख रू0 में)			
1	162/2023/001-182आ0-23-5-23-21(भवन)/2023, दिनांक 19.09.2023	कानपुर नगर स्थित राजकीय आवासीय सर्किट हाउस कालोनी बी-21 टाइप-4 में पुनर्विद्युतीकरण का कार्य।	02.84	0.30	02.54	02.27	0.00	0.27	0.27
2	31/2023/001-17आ0-23-5-23-01(भवन)/2023, दिनांक 17.02.2023	बलिया में कलेक्ट्रेट कालोनी स्थित पूल्ड हाउसिंग के टाइप-1 के 56 अदद् आवासों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	24.70	0.67	24.03	20.00	0.00	04.03	04.03
3	तदैव	बलिया में कलेक्ट्रेट कालोनी स्थित पूल्ड हाउसिंग के टाइप-2 के 24 अदद् आवासों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	16.32	0.47	15.85	14.00	0.00	01.85	01.85
4	तदैव	बलिया में कलेक्ट्रेट कालोनी स्थित पूल्ड हाउसिंग के टाइप-3 के 20 अदद् आवासों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	22.17	0.25	21.92	18.00	0.00	03.92	03.92
5	तदैव	बलिया में कलेक्ट्रेट कालोनी स्थित पूल्ड हाउसिंग के टाइप-4 के	18.51	0.48	18.03	15.00	0.00	03.03	03.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		08 अदद्(जी+1) आवासीय भवनों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।							
6	66/2023/001-108आ0-23-5-23-07(भवन)/2023टीसी, दिनांक 28.03.2023 एवं 130/2023/001-199आ0-23-5-23-07(भवन)/2023टीसी, दिनांक 11.07.2023	जौनपुर में पूल्ड हाउसिंग के अनुपम कालोनी में बी-टाइप के कुल 10 अदद् एकल आवासीय भवनों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	18.05	0.28	17.77	14.00	0.00	03.77	03.77
7	तदैव	जौनपुर में पूल्ड हाउसिंग के अन्तर्गत हुसैनाबाद कलेक्ट्रेट कालोनी के डी-टाइप 25 अदद् आवासीय भवनों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	15.08	0.16	14.92	12.00	0.00	02.92	02.92
8	तदैव	जौनपुर में पूल्ड हाउसिंग के बी-टाइप के ट्रांजिट आवास(जी+1) 12 अदद् आवासीय भवनों के पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	17.55	0.18	17.37	14.00	0.00	03.37	03.37
9	79/2023/001-156आ0-23-5-23-07(भवन)/2023टीसी-2, दिनांक 30.03.2023 एवं 08/2024/आई 485192/001-1360-23-5002-002-02-2024, दिनांक 02.02.2024	जौनपुर में पूल्ड हाउसिंग के बी-टाइप खरका कालोनी के 08 अदद् आवासीय भवनों का पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	13.43	0.27	13.16	11.00	0.00	02.16	02.16
			योग :-					**25.32**	**25.32**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 25,32,000(रूपये पच्चीस लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-55/2024/आई530954/001-237आ0(1)/23-5-2024, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी कानपुर,बलिया व जौनपुर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर,बलिया व जौनपुर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, कानपुर नगर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, 44वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
14- अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, आज़मगढ़।
15- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।